

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)
छत्तीसगढ़, जीरो पॉइन्ट,
बलौदा बाजार रोड, रायपुर - 492 005



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
CHHATTISGARH, ZERO POINT,
BALODA BAZAR ROAD, RAIPUR - 492 005

दिनांक / Date : 20-04-26

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र.-5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
3.	O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, बीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं-4, एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, ए.जी.विशन ग्राउंड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, रांची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरिन लाइन्स, मुम्बई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गणिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली, पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक	737102
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनागपेट, चेन्नई	600018

दूरभाष/Tel. : +91-771-2285954

पी.बी.एक्स./PBX : +91-771-2281451

फैक्स/FAX : +91-771-2282607

ईमेल/Email : agachhattisgarh@cag.gov.in

हैदराबाद/Hyderabad-500

25.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा] पो.ऑ.-कुंजाभवन, अगरतल्ला	799006
26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहारादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहारादून	248171
27.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	226010
28.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	211001
29.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता	700001
30.	कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली	110021
31.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा	403101
32.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी, पाण्डिचेरी सरकार, पाण्डिचेरी	605001
33.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद	500004
34	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, त्रिकुट-II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.01.2026 से सातवें वेतनमान में 58% एवं छठवें वेतनमान में 257% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में

संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE (वित्त निर्देश 12/2026) दिनांक 08.04.2026.

महोदय,

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। संबन्धित आदेश की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट finance.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न: संदर्भित निर्देश की प्रति

भवदीय

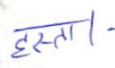

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/

दिनांक:

प्रतिलिपि:

उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: 1/374497/2026 दिनांक 09.04.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA
MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR

No. RULE/478/2025-FINANCE Nava Raipur Atal Nagar, Dated 08.04.2026

To,

All Department of Government

The President of Board of Revenue, Bilaspur

All Heads of Department

All Commissioners of Divisions

All Collectors

Chhattisgarh.

Sub -Revised rate of dearness relief to Chhattisgarh
Government pensioners

The State Government had sanctioned 55% (in Seventh Pay Scale) and 257%(in Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f. 01.09.2025 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. RULE/478/2025-FINANCE, dated 17.10.2025.

2. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Pay Scale	Date from which payable	Rate of increase in Dearness Relief	Increased Dearness Relief
Seventh Pay Scale	01-January-2026	3% of Basic Pension/ Family Pension	58%
Sixth Pay Scale	01-January-2026	5% of Basic Pension/ Family Pension	257%

3. The above dearness relief shall be payable to the persons receiving pension, family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Chhattisgarh Government, Finance Department's Memo No. 677/279/2024/ Fin./Rule/IV, dated 23-09-2024 (Finance Circular 07/2024 Encl.) and Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76.

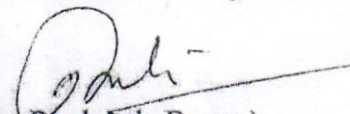
Ans

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh


(Indra Prakash Ratre)
Deputy Secretary

वित्त निर्देश 12/2026

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08/04/2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

--0--

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE, दिनांक 17-10-2025 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.09.2025 से 55% (सातवें वेतनमान में) एवं 252% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी:-

वेतनमान	अवधि जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत
सातवां वेतनमान	1 जनवरी 2026	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 3%	58%
छठवां वेतनमान	1 जनवरी 2026	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 5%	257%

3/ उपरोक्त महंगाई राहत की पात्रता पेंशन एवं परिवार पेंशन, असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर

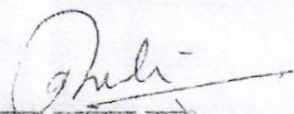
नगर, के ज्ञापन क्रमांक 677/279/2024/वित्त/नियम/चार, दिनांक 23.9.2024 (वित्त निर्देश 07/2024-संलग्न) एवं ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/ नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(इन्द्र प्रकाश रात्रे)
उप सचिव